

Scan 7/6/13
011

रवैश्व

आदेश-पत्रक

(दिखे अभिलेख हस्ताक्ष, 1941 का नियम 129)

05011828308300219

दुष्टोन्माला

तक

केस का

देश पत्रक-ता
ला
ना

रां.

सन्

20/4/13

आदेश की क्रम-संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी लारिय साथ

23.
13-14
20/4/13

प्रप्त श्री संगीष कुमार वल्द श्री स्वृष्टि राज नवजीत ५७६
थाना-विहटा, जिला-पटना का मूल आवेदन-एवं
क्षमताएँ/अधिक निरीक्षक के जोच प्रतिवेदन के साथ नामांतरण हेतु प्राप्त
हुआ। आवेदित जमीन श्री स्वृष्टि वल्द ५७६ ग्राम विहटा थाना ५० ९०
वल्द श्री स्वृष्टि वल्द ५७६ ग्राम विहटा थाना ५० ९० से खस्त, बक्षीश, दान, बदलम द्वारा प्राप्त की है।
आवेदन हेतु अभिलेख शिविर न्यायालय में प्रत्युत करें।

जमीन का उक्तव्य-

जमीन का नाम

सोरभपुर

२४६

खाता

५८४

२६५

३०९

प्लॉट

/

रकवा

०८.२७ $\frac{3}{4}$ १०

अं० अ०, विहटा ५० ९०

शिविर-न्यायालय में अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक द्वारा प्रत्युत
कराया जाना का अनुरोध किया। आवेदित जमीन के राका में त्रुपालित अंगीण जनता
के सम्बन्ध पूकाल कर आपति की चांग की गई छिरी प्रकार की आपति प्राप्ती नहीं हुई।
हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन-एवं अनुसार आवेदित जमीन पर आवेदक का
दरवाज़ा-कम्बाज़ा है। अंतः हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर
वाणेत भूमि का दाखिल-खारीज आवेदक के नाम <प्रीति> है।
किया जाता है। तदनुसार शुद्धि-पत्र निर्गत करें।

लेखापिता,

अं० अ०, विहटा

11/5/13

शिविर कर्मचारी शुद्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। शुद्धि-पत्र हल्का कर्मचारी
के नामांतरण करने एवं पालगुजारी करात्मक हेतु दें। अनुपालन के पाश्चात एक
प्राप्त अभिलेख हेतु लौटा दें।

अं० अ०, विहटा ५० ९०

अं० अ०, विहटा ५० ९०